श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व महोदय ग्वालियर खंडपीठ रीवा म.प्र.

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

199
15.6.15

निगरानी 2190-II-15

अम्बुज त्रिपाठी तनय श्री मोतीलाल त्रिपाठी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गंगापुर (भटलो) तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र. ....आवेदक

बनाम्

विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी तनय स्व. रामदास चतुर्वेदी उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी ग्राम गंगापुर (भटलो) तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र. ....अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दिनांक 15.6.15 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध तहसीलदार तह. हुजूर जिला रीवा के राजस्व प्र.क. 611/अ 6/09–10 आदेश दिनांक 27.06.2014

निगरानी अंतर्गत धारा50म.प्र.भू.रा.सं.1959 ई.

मान्यवर,

क्रमांक 5848 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक .... को प्राप्त क्लर्क राजस्व म.प्र. ग्वालियर

निगरानी के आधार निम्न हैं –

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2014 विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नाधीन प्रकरण ग्राम पंचायत भटलो में पारित प्रस्ताव क. 7 के आधार पर नामांतरण पंजी क. 4 आदेश दिनांक 03.04.2002 को विधिवत बंटवारा प्रमाणित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किए गए थे। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें आवेदक पक्षकार नहीं था, शेष अन्य पक्षकार अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं थे। अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2002 के बंटवारा नामांतरण के प्रकरण को निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था। उक्त प्रत्यावर्तित प्रकरण, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विगत 8 वर्षों से विचाराधीन है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2014 को अंतरित आदेश विधि के मंशा के विपरीत पारित किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

3– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 29.04.2013 को निरस्त बंटवारे

(3)

अम्बुज त्रिपाठी / विष्णु प्रताप चतुर्वेदी

(47) R. 2190 - दो/13 - रीवा (WD)

27.10.16 1- आवेदक अभिभाषक श्री कमलेश्वर दुबे एड. उप. उनके द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। चूंकि आवेदक इस प्रकरण को नहीं चलाना चाहते है अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

2. प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।

सदस्य

27/10/16